

निर्वाचन का संचालन नियम 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप-24 क

(नियम 85 ख देखिए)

यह प्रारूप आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान राजनीतिक दल की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से पूर्व निर्वाचन आयोग के समक्ष फाइल किया जाना चाहिए और इस आशय का एक प्रमाण-पत्र आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन छूट का दावा करने के लिए आयकर विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

1. राजनीतिक दल का नाम

2. राजनीतिक दल की प्रास्थिति

(मान्यता प्राप्त / अमान्यता प्राप्त)

3. राजनीतिक दल के मुख्यालय का पता

4. निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दल की रजिस्ट्रीकरण की तारीख

5. स्थायी रवाता सं. (पेन) और वह आयकर वार्ड / सर्किल जहां राजनीतिक दल की विवरणी फाइल की जानी है

6. वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के दौरान प्राप्त अभिदायों के जो बीस हजार रुपये से अधिक हैं, ब्यौरे-

क्रम सं.	अभिदात्री व्यक्ति / कंपनी का नाम और पता	पैन (यदि कोई हो) और आयकर वार्ड/ सर्किल	अभिदाय की रकम	अभिदाय की रीति/ (चेक/मांग देय ड्राफ्ट/नकद)	टिप्पणियां
i	निर्देशक	x	निर्देशक	x	x

- बैंक / मानदेय ड्राफ्ट द्वारा संदाय की दशा में, उस बैंक या बैंक की शाखा का नाम जिस पर चेक / मांगदेय ड्राफ्ट लिखा गया है।

7. यदि अभिदायी एक कंपनी है तो क्या कंपनी अधिनियम, 1958 (1958 का 1) की धारा 239 के अधीन अधिकथित शर्तों का अनुपालन किया गया है (कंपनी से अभिप्राप्त इस आशय के प्रमाण-पत्र की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए)

सत्यापन

मैं, भवानी शुभल (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री सत्यानिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस प्रारूप में दी गई जानकारी ठीक, पूर्ण और सही तौर पर बताई गई है।

मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं ऊपर नामित राजनीतिक दल की ओर से निर्वाचन आयकर विवरणी के लिए सक्षम भी हूं।

भवानी शुभल
प्रदेश कार्यालय,

तारीख : २०१८

स्थान : राजस्थान

अवधेश कुमार बघेल,
(कोषाध्यक्ष/प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और नाम)